



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102020-222645
CG-DL-E-22102020-222645

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3320] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 22, 2020/ आश्विन 30, 1942
No. 3320] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2020/ ASVINA 30, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3747(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्धमान जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन), पूर्व बर्धमान, पश्चिम बंगाल को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्धमान जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिला का नाम— पूर्व बर्धमान

क्र. सं.	पुलिस स्टेशन	मौजा का नाम अधिकारिता सूची संख्या सहित	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल		अर्जित भूमि
				एकड़ में	हेक्टेयर में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	गलसी	साटिनन्दी-149 (आर. एस.)	4314	0.025	0.01012	उत्तर-पूर्व भाग
			4315	0.005	0.00202	उत्तर-पूर्व कोण
			4319	0.050	0.02023	उत्तर भाग
			4321	0.025	0.01012	उत्तर-पूर्व भाग
			4322	0.030	0.01214	दक्षिण-पश्चिम कोण वर्जित
			4323	0.350	0.14164	उत्तर-पूर्व भाग
			4313 / 4422	0.005	0.00218	उत्तर-पूर्व भाग
2.	गलसी	साटिनन्दी-149 (आर. एस.)	5623	0.200	0.08094	उत्तर-पूर्व भाग
			5624	0.050	0.02023	दक्षिण भाग वर्जित
			5625	0.305	0.12343	उत्तर भाग वर्जित
			5626	0.050	0.02023	उत्तर भाग
			5629	0.350	0.14164	उत्तर भाग
			5630	0.980	0.39660	दक्षिण-पश्चिम भाग वर्जित
			5631	0.150	0.06070	उत्तर-पूर्व भाग वर्जित
			5632	1.230	0.49777	उत्तर-पूर्व भाग और दक्षिण-पश्चिम भाग वर्जित
			5633	0.290	0.11736	दक्षिण-पश्चिम कोण वर्जित
			5638	0.030	0.01214	उत्तर-पूर्व कोण
			5641	0.060	0.02428	उत्तर-पूर्व कोण
			5843	0.350	0.14164	उत्तर भाग
			5845	0.300	0.12141	उत्तर भाग
			5846	0.120	0.04856	संपूर्ण
			5847	0.530	0.21449	उत्तर भाग
			5848	0.175	0.07082	उत्तर भाग वर्जित
			5849	0.305	0.12343	उत्तर-पूर्व भाग वर्जित
			5850	0.060	0.02428	उत्तर-पूर्व भाग वर्जित
			5851	0.290	0.11736	संपूर्ण
			5852	0.470	0.19021	उत्तर-पूर्व भाग
			5853	0.005	0.00202	उत्तर-पूर्व कोण
			5855	0.320	0.12950	दक्षिण-पश्चिम कोण वर्जित
			5856	0.395	0.15985	उत्तर भाग वर्जित
			5857	0.645	0.26103	उत्तर-पूर्व कोण वर्जित
			5858	0.200	0.08094	उत्तर-पूर्व भाग वर्जित
			5859	0.435	0.17604	उत्तर-पूर्व भाग वर्जित
			5860	0.500	0.20235	संपूर्ण
			5861	0.260	0.10522	दक्षिण-पश्चिम कोण वर्जित
			5862	0.040	0.01619	उत्तर-पूर्व कोण
			5863	0.400	0.16188	दक्षिण-पश्चिम कोण वर्जित
			5865	0.005	0.00202	उत्तर-पूर्व कोण

			5866	0.250	0.10117	उत्तर-पूर्व भाग
			5881	0.045	0.01821	उत्तर-पूर्व कोण
			5882	1.430	0.57871	मध्य भाग
			5885	0.155	0.06273	उत्तर-पूर्व भाग वर्जित
			5886	0.215	0.08701	उत्तर-पूर्व कोण और दक्षिण भाग वर्जित
			5887	0.490	0.19830	मध्य भाग
			5893	0.130	0.05261	उत्तर-पूर्व भाग
			5625 / 5971	0.025	0.01012	दक्षिण-पश्चिम भाग

[फा. सं. 2020 / एलएमएल-II / 12 / 2 / ईसी / 2067]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं)

**MINISTRY OF RAILWAY
(RAILWAY BOARD)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2020

S.O. 3747(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Purba Bardhaman in the State of West Bengal, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority namely, Additional District Magistrate (Land Acquisition), Purba Bardhaman, West Bengal in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the proposed Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Purba Bardhaman in the State of West Bengal.

Name of District— Purba Bardhaman

Sl. No.	Police Station	Name of Mouza with JL No.	Plot No.	Acquisition Area		Affected Portion
				Acre	Hect.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Galsi	Satinandi-149 (R. S.)	4314	0.025	0.01012	NORTH-EASTERN
			4315	0.005	0.00202	NORTH-EAST CORNER
			4319	0.050	0.02023	NORTHERN
			4321	0.025	0.01012	NORTH-EASTERN

			4322	0.030	0.01214	EXCEPT SOUTH-WEST CORNER
			4323	0.350	0.14164	NORTH-EASTERN
			4313/4422	0.005	0.00218	NORTH-EASTERN
2.		Satinandi-149 (R. S.)	5623	0.200	0.08094	NORTH-EASTERN
			5624	0.050	0.02023	EXCEPT SOUTHERN
			5625	0.305	0.12343	EXCEPT NORTHERN
			5626	0.050	0.02023	NORTHERN
			5629	0.350	0.14164	NORTHERN
			5630	0.980	0.39660	EXCEPT SOUTH-WESTERN
			5631	0.150	0.06070	EXCEPT NORTH-EASTERN
			5632	1.230	0.49777	EXCEPT NORTH-EASTERN & SOUTH-WESTERN
			5633	0.290	0.11736	EXCEPT SOUTH-WEST CORNER
			5638	0.030	0.01214	NORTH-EAST CORNER
			5641	0.060	0.02428	NORTH-EAST CORNER
			5843	0.350	0.14164	NORTHERN
			5845	0.300	0.12141	NORTHERN
			5846	0.120	0.04856	FULL
			5847	0.530	0.21449	NORTHERN
			5848	0.175	0.07082	EXCEPT NORTHERN
			5849	0.305	0.12343	EXCEPT NORTH-EASTERN
			5850	0.060	0.02428	EXCEPT NORTH-EASTERN
			5851	0.290	0.11736	FULL
			5852	0.470	0.19021	NORTH-EASTERN
			5853	0.005	0.00202	NORTH-EAST CORNER
			5855	0.320	0.12950	EXCEPT SOUTH-WEST CORNER
			5856	0.395	0.15985	EXCEPT NORTHERN
			5857	0.645	0.26103	EXCEPT NORTH EAST CORNER
			5858	0.200	0.08094	EXCEPT NORTH-EASTERN
			5859	0.435	0.17604	EXCEPT NORTH-EASTERN
			5860	0.500	0.20235	FULL
			5861	0.260	0.10522	EXCEPT SOUTH-WEST CORNER
			5862	0.040	0.01619	NORTH-EAST CORNER
			5863	0.400	0.16188	EXCEPT SOUTH-WEST CORNER
			5865	0.005	0.00202	NORTH-EAST CORNER
			5866	0.250	0.10117	NORTH-EASTERN
			5881	0.045	0.01821	NORTH-EAST CORNER
			5882	1.430	0.57871	MIDDLE
			5885	0.155	0.06273	EXCEPT NORTH-EASTERN
			5886	0.215	0.08701	EXCEPT NORTH-EAST CORNER & SOUTHERN
			5887	0.490	0.19830	MIDDLE
			5893	0.130	0.05261	NORTH-EASTERN
			5625/5971	0.025	0.01012	SOUTH-WESTERN

[F. No. 2020/LML-II/12/2/EC/2067]

A.K. SINHA, Executive Director (Land & Amenities)